Anti Corruption India

Head.OFFICE- 293, OLD DELHI GURGAON ROAD, GALI NO-7 NEAR MCD SCHOOL KAPASHERA-37
M:8800956544 Web- www.anticorruptionindia.co.in Email:-anticorruptionindia24@gmail.com

The organisation structure of the Anticorruption India comprises of 6 levels as detailed below:

1. National Level

- **National Executive**

2. State Level

- **State Executive**

3. District Level

- **District Executive**

4. Block Level

- **Block Executive**

5.Panchayat Level

- **Panchayat exuctive**

6.Primary Level

- **Ward/village**

This structure will be different for delhi and other Union Territories.

NATIONAL CORE COMMITTEE (रास्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य)-

इस कोर कमिटी में रजिस्टर्ड बॉडी के साथ -साथ प्रत्येक राज्य से 3 सदस्य भी होते हैं, जिनकी जिम्मेवारी होती है की वे अपने राज्यों के संगठन को मजबूत और संगठित रखें और ये इस संगठन के सबसे बरी पालिसी मेकिंग बॉडी होती है जिसकी अध्यक्षता रास्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है , रास्ट्रीय कार्यकारणी की मीटिंग साल में कम से कम दो बार किया जाता है और जो भी जरुरी फैसले होते हैं उसे संगठन हित में लिया जाता है और हर स्तर पर लागू कराया जाता है।

STATE CORE COMMITTEE (राज्य कार्यकारणी सदस्य) - राज्य कोर कमिटी में प्रत्येक जिले से 4 से 5 सदस्यों को ही शामिल किया जाता है । कोर कमिटी में सदस्यों को उनकी योग्यता, क्षमता, समाजिकता, सबको ध्यान में रखते हुए ही संगठन के राज्य कोर कमिटी में शामिल किया जाता है और उसी के अनुसार पद से सम्मानित किया जाता है I राज्य कोर कमिटी में जिस जिला से, जो भी अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी की वे अपने जिला में संगठन का विस्तार करें और जिला कोर कमिटी के कार्यों पर निगरानी रखें I सभी अधिकारीयों का कार्यकाल पांच साल के लिए होता है , प्रदेश कार्यकारणी की सभा तीन महीने में एक बार होती है I इसी कमिटी में एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष, सचिव एवं महासचिव , कोषाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर ,क़ानूनी सलाहकार, रिपोर्टर एवं और भी जो पद खाली है, उस पद से सम्मानित किया जाता है और साथ में ट्रेनिंग भी दिया जाता है । राज्य के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारणी टीम की ये जिम्मेवारी है की वे अपने राज्य में राज्य कोर कमिटी को मजबूत कर के संगठन का विस्तार प्राइमरी स्तर तक *सुनिश्चित* करें I

DISTRICT CORE COMMITTEE (जिला कोर कमिटी) - इस कोर कमिटी में प्रत्येक ब्लॉक 4 से 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष द्वारा की जाती है ,और जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी टीम की ये जिम्मेवारी है की वे अपने जिला के प्रत्येक ब्लॉक तक संगठन को मजबूत रखें I इसी कोर कमिटी में से अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , सचिव महाचिव,कोषाध्यक्ष लीगल एडवाइजर , क्राइम रिपोर्टर एवं और भी रिक्त पद योग्यता और सामाजिकता के आधार पर दिया जाता हैं I

जिला कोर कमिटी की मीटिंग जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हर महीने के 15 से 30 तारीख के बिच रविवार के दिन रखा गया है I जिले से सम्बंधित सभी फैसले जिला कोर कमिटी लेती है, और उसका रिपोर्ट राज्य और मुख्य कार्यालय को अध्यक्ष के द्वारा मेल के माध्यम से भेजा जाता है।

BLOCK CORE COMMITTEE (ब्लॉक कोर कमिटी):- इस कोर कमिटी में प्रत्येक पंचायत से 4 से 5 सदस्यों को हीं कार्यकारणी टीम में शामिल किया जाता है , जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव क्राइम रिपोर्टर एवं और भी रिक्त पद योग्यता और क्षमता के अनुसार दिया जाता हैं I ब्लॉक स्तर से समबन्धित सभी फैसले ब्लॉक कोर कमिटी लेती है I ब्लॉक कोर कमिटी की मीटिंग की अध्यक्षता ब्लाक अध्यक्ष को करना है और मीटिंग की रिपोर्ट अपने जिला अध्यक्ष को मेल करना है I इसकी सभा हर महीने के 20 से 30 तारीख के बिच रखा गया है I ब्लॉक कोर कमिटी में आये सभी अधिकारीयों की जिम्मेवारी है की वे अपने पंचायत में संगठन को मजबूत और संगठित रखें I

PANCHAYAT CORE COMMITTEE (पंचायत कोर कमिटी) - इस कोर कमिटी में प्रत्येक गाँव /वार्ड से 4 से 5 सदस्यों को पंचायत कोर कमिटी में शामिल किया जाता है, I जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , सचिव, रिपोर्टर और भी रिक्त पद योग्यता के अनुसार दिया जाता है I पंचायत के सभी निर्णय ACI पंचायत कमिटी ही करती है जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष द्वारा किया जाता है I पंचायत कमिटी की जिम्मेवारी है की वे अपने अपने वार्ड /गाँव में संगठन को मजबूत और संगठित रखें I

VILLAGE/WARD CORE COMMITTEE (गाँव /वार्ड कमिटी) - वार्ड कोर कमिटी में उसी वार्ड/गाँव से 20 लोगो को शामिल किया जाता है ,जिसमे एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रिपोर्टर, सचिव एवं और भी रिक्त पद को योग्यता अनुसार दिया जाता है I इन सभी सदस्यों की जिम्मेवारी है की अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को भ्रस्टाचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ जागरूक करें और कोई सरकारी अधिकारी किसी से कोई रिश्वत मांगता हो , संगठन के उच्च अधिकारिओं तक पहुचाऍ और ये सुनिश्चित करें की सरकार द्वारा जनता के लिए जो भी सुविधाएँ दी जाती है उन सब जरुरतमंद को मिल रहा है की नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो उन्हें दिलवाना और सबको संगठित एवं जागरूक रखना I इसके साथ ही संगठन द्वारा जो भी समाज और देश हित में जिम्मेवारी दी जाएगी उसे पुरे तन, मन और धन के साथ संगठन के उदेश्यों को पालन करना है। संगठन हमेशा अपने सभी साथियों और अधिकारीयों के साथ हर कदम पर साथ देने का वादा करता है I

DISCIPLINARY COMMITTEE (अनुसाशन समिति) - जिला , राज्य और रास्ट्रीय स्तर पर 3 सदस्यों की एक अनुसाशन समिति बनाया जाता है जो की सीधे किसी भी सदस्य या अधिकारी को संगठन से निष्काशित कर सकता है अगर कोई पदाधिकारी संगठन के उदेश्य के खिलाफ कार्य करता हो या संगठन की एकता को ख़त्म करने की सोच रखता हो, उस पर जरुर करवाई की जाती है और उसे संगठन से हमेशा के लिये निकल दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट रास्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया जाता है।

MEMBERSHIP LIST (सदस्यता सूची)- संगठन के सभी सदस्यों और अधिकारयों की सूची संगठन के वेबसाइट WWW.ANTICORRUPTIONINDIA.CO.IN के PERMANENT MEMBER LIST में शो होगा I देश के किसी भी राज्य से कोई भी देख सकता है की किस जिला में कौन सदस्य किस पोस्ट पर कार्यरत है, सुरक्षा के द्रिस्टी से वेबसाइट पर किसी भी अधिकारी का PERSONAL ADDRESS और मोबाइल नंबर शो नहीं किया जाता है , संगठन द्वारा जो नंबर जारी किया जाता है वही पब्लिक में प्रकाशित किया जाता है I

VOLUNTEER LIST (स्वयंसेवक सूची)- संगठन में शामिल सभी वालंटियर का भी लिस्ट वेबसाइट पर रहेगा लेकिन इनका फोटो नहीं रहेगा, Volunteer I Card संगठन के स्थायी सदस्यों द्वारा ही जारी किया जायेगा , जो पदाधिकारी जितना ज्यादा ACI वालंटियर बनाएगा उसे ACI TROPHY और कैश रिवॉर्ड से भी सम्मानित किया जाएगा I

संगठन का सिम कार्ड - संगठन के सभी पदाधिकारियों को वही मोबाइल नंबर अपने पम्प्लेट्स या विजिटिंग कार्ड या संगठन के बैनर पर जारी करना है जो संगठन द्वारा दिया जायेगा, संगठन के प्रचार-प्रसार के लिए पर्सनल नंबर को पब्लिक में प्रकाशित नहीं करना है , हर स्तर पर संगठन द्वारा जारी नंबर ही हेल्प लाइन के रूप में जारी किया जायेगा I जब कोई आम जनता आपके हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करता है और किसी कारण से आप कॉल नहीं उठाते हो तो फिर ओ नंबर संगठन के कॉल सेंटर पर ट्रान्सफर हो जायेगा I सभी पदाधिकारियो को उसके लिए ट्रेनिंग भी दिया जायेगा।

संगठन के लिए फंडिंग - ये संगठन किसी भी सरकार से फण्ड नहीं लेती है, इस संगठन को सिर्फ प्राइवेट फंडिंग एंड पब्लिक कॉन्ट्रिब्यूशन से हीं, कई सालों से चलाया जा रहा है और इसलिए ये सफल भी है I संगठन में जो भी कोई अधिकारिक पद पर कार्य कर रहा है और करेगा उसे रेगुलर बेसिस पर काम करते रहना है इसके लिए उन्हें संगठन में जो फण्ड आएगा उन्हें उसी में से दिया भी जाएगा ताकि अपने कार्य को लगातार समाज और देश हित में जारी रखें । इन सबकी जानकारी आपको ट्रेनिंग में दी जाती है उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो ऑफिस से जानकारी ले सकते हैं ।

NOTICE (सूचना)- सभी सदस्य और अधिकारीयों को ऊपर लिखे हुए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना है, अगर कोई स्थायी सदस्य या पदाधिकारी संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करने में सहमत नहीं है तो वे संगठन से इस्तीफा दे सकता है, और संगठन द्वारा जारी आई कार्ड अपने अध्यक्ष को जमा करा सकता है। संगठन द्वारा समाज और देशहित में जो भी निर्णय लिया जायेगा उसे पूरा फोकस के साथ कार्य करना है , संगठन द्वारा लिया गया हर निर्णय को पूरा 100 % दिल से पालन करना है।